महत्वपूर्ण

संख्या-I/930944/2025/70-2099/28/2024

प्रेशक,

शिपू गिरि,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

जिलाधिकारी, कासगंज / एटा / हाथरस / अलीगढ़
कृपया शासन के अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार वांछित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
9.04.25
कृते कुलसचिव

सेवा में,

कुलसचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय,

उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 07-04-2025

विषयः-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिये नये महाविद्यालयों/ संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-आई/925497/2025/70-2099/28/2024 दिनांक 01.04.2025 एवं संख्या-आई/926695/2025/70-2099/28/2024 दिनांक 02.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2024, 27.12.2024, 17.02.2025 एवं 01.04.2025 के माध्यम से निर्गत समय-सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यकमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	---

2.	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	10 अप्रैल, 2025
3.	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना।	13 अप्रैल, 2025
4.	ऑनलाइन अनापति के संबंध में विष्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	15 अप्रैल, 2025
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	18 अप्रैल, 2025
6.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 20 अप्रैल, 2025 तक। (1)अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 18 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2)तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 20 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 03 मई, 2025 तक।
8.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 13 मई, 2025 तक।
9.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 22 मई, 2025 तक।
10.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2025 तक।

3- शासनादेश दिनांक 09.10.2024, 27.12.2024, 17.02.2025, 01.04.2025

एवं 02.04.2025 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उक्त समय-सारिणी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Sipu Giri
(शिपू गिरि)
Date: 07-04-2025 19:07:41
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. डॉ0 संजीव सिंह, प्रिन्सिपल इन्वेस्टीगेटर (प्रोजेक्ट समर्थ), दिल्ली वि0वि0, नई दिल्ली।
8. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
10. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
11. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Surya Prakash Mishra
(एस0पी0 मिश्र)
Date: 07-04-2025 19:10:42
उप सचिव।